सं0सं0:- निग/सारा-01-वि0का0-5-56/2012 1338(S) 26/2/2025

झारखण्ड सरकार

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

श्री नन्द कुमार राम, तदेन प्रभारी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लातेहार सम्प्रति सेवानिवृत (दि0-31.01.2016 को सेवानिवृत) के द्वारा उक्त पदस्थापन काल में बरती गई अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प सं0-3831 एस, दि0-12.04.2013 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। श्री राम के विरूद्ध आरोप पत्र ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-458 अनु0, दि0-21.01.2012 के माध्यम से प्राप्त है।

2. श्री राम के नियंत्रणाधीन कार्यान्वित योजनाओं की जांच में पाया गया कि इनके द्वारा कुल 21 योजनाओं का कार्यान्वयन बिना योजना स्थल के निरीक्षण के ही मानक प्राक्कलन बनाकर योजना का कार्यान्वयन कराया गया, जिसके कारण जांच में योजनाओं की लंबाई-चौड़ाई प्राक्कलन के अनुरूप नहीं पाया गया। इनके द्वारा श्री दिनेश्वर तिवारी कनीय अभियंता को योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल 4,20,00,000/-(चार करोड़ बीस लाख) रू0 मात्र उपलब्ध कराये गये जिसे श्री दिनेश्वर तिवारी द्वारा अपने नाम के साथ पदनाम दर्शाते हुए उक्त राशि को बचत खाता में रखा गया। साथ ही इनके द्वारा कनीय अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा की गई योजना की मापी का पर्यवेक्षण एवं जांच नहीं किया गया। ग्राम सभा की कार्यवाही में अध्यक्ष/सचिव का हस्ताक्षर एवं मस्टर रोल में उनके हस्ताक्षर में समानता नहीं पायी गयी। इसलिए गलत मस्टर रोल के आधार पर योजनाओं में कार्य कराया गया। योजनाओं में मजदूरी का भुगतान खाते के माध्यम से नहीं किया गया। इस प्रकार श्री राम द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।

3. श्री राम के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर जांच प्रतिवेदन श्रीमती शीला किस्कू रपाज, भा0प्र0से0(से0नि0) विभागीय जांच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी, झारखण्ड, रांची द्वारा उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री राम के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

4. श्री राम के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन को सलंग्न करते हुए पत्रांक-7613 एस, दि0-04.11.2015 द्वारा वृहत दण्ड के अधिरोपन हेतु द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।

5. श्री राम के दि0-31.01.2016 को सेवानिवृत हो जाने के कारण इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को आदेश सं0-940 एस, दि0-12.02.2019 के द्वारा पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत सम्परिवर्तित किया गया है। तत्पश्चात् पत्रांक-3693 एस, दि0-25.07.2019 द्वारा श्री राम से उनके पेंशन से **50 प्रतिशत राशि** की कटौती का दण्ड अधिरोपण के प्रस्ताव के साथ नियम-43(ख) के तहत द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित करने के लिए स्मारित किया गया है।

6. श्री राम द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब पत्र दि0- 04.08.2019 द्वारा समर्पित किया गया जिसमें इनके द्वारा उल्लेख किया गया कि इस मामले में मात्र अंतरिम का भुगतान किया गया था, जिसका उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-101, दि0-10.02.2014 एवं कार्यपालक अभियंता के पत्रांक-202, दि0-28.02.2014 के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार श्री राम के कार्यपालक अभियंता के पद से प्रभार देकर आने के बाद इनके प्रतिस्थानी कार्यपालक अभियंता द्वारा आरोपगत 21 योजनाओं में लेखा का समायोजन एवं अंतिम भुगतान दि0- 31.03.2010 को किया गया है।

7. श्री राम द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गई एवं समीक्षा में श्री राम के विरूद्ध अग्रिम राशि के लंबित नहीं होने के आधार पर उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों से उन्हें दोषमुक्त नहीं माना गया। फलतः अधिसूचना सं0-2738 एस, दि0-30.05.2023 द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत उनके पेंशन से 25 प्रतिशत राशि की स्थायी कटौती करने का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

8. उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री राम द्वारा महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड के समक्ष अपील अभ्यावेदन दि0–12.06.2023 समर्पित किया गया है। श्री राम द्वारा अपील अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जिसका उल्लेख उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में किया गया है। इन तथ्यों के विचारण के पश्चात् ही उन पर दण्ड का अधिरोपण किया गया है।

9. श्री राम द्वारा अपील अभ्यावेदन में किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके आधार पर उनके विरूद्ध अधिरोपित दण्ड पर पुर्नविचार किया जा सके। इसलिए श्री राम द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन दि0–12.06.2023 को अस्वीकृत किया जाता है।

10. श्री राम के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने हेतु मंत्रिपरिषद्, झारखण्ड द्वारा स्वीकृति दि0–12.03.2025 को आहुत बैठक में प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(अखौरी शशांक सिन्हा)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :– निग/सारा–01–वि0का0–5–56/2012 1339(S) **दिनांक–**25/3/2025

प्रतिलिपि :–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई–प्रोक्योरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.03.25

सरकार के विशेष सचिव।

24/3/25